SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(Government of India: Ministry of Home Affairs)
Hyderabad– 500 052

INTER OFFICE NOTE

Sub: Notified RRs for the post of Library Attendant- Regarding.

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Library Attendant is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column.

6/4/2020

(S. Ajeetha Begum)
Assistant Director (Estt.)

Assistant Director (IT)

No.19011/01/2009/Estt/RRs/A-5/Library Attendant Dated: 06 .04.2020

Internal:

(1) A-1 - To issue necessary Orders/Memorandum regarding merging of one post of Junior Library Attendant and one post of Library Attendant under one common nomenclature as "Library Attendant - 02 posts.

(2) A-3 - To make necessary changes staff sanction statement and wherever is possible.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

सा.का.नि.30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (जिल्दसाज और परिचर) भर्ती नियम, 1981 और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय परिचर	02* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 1 (18000 –56900 रू.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** – आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन	**आवश्यक : –** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन। 2. सरकारी संस्थान/ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय सूचना विज्ञान में प्रमाण पत्र। **वांछनीय –** 1. पुस्तकालय में एक वर्ष का

					प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश अंदमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गयी है।) **टिप्पण 2** – रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कार्यानुभव । **2.** कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. उप निदेशक –अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक –सदस्य 3. पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी –सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/36/2017–पीटी]

बी. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th February, 2020

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Book Binder-cum-Attendant) Recruitment Rules, 1981 and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Library Attendant) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely : —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Library Attendant Recruitment Rules, 2020.

   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Attendant	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'C',Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000 – 56,900/-)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the	**Essential:** 1. Matriculation from any Government recognised Board. 2. Certificate in Library Science or Library	Not applicable.

Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep and the Union territory of Ladakh. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Information Science from Government Institution or Government recognised Institution. **Desirable**: 1. One year experience of working in a Library; 2. Working knowledge of Computers.	

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :** (1) Deputy Director – Chairman (2) Assistant Director -Member; (3) Library and Information Officer – Member.	Not applicable.

[F.No. 23011/36/2017-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीरम विज्ञान विभाग, कोलकाता (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता, ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।